शंकाएं	स्पष्टीकरण
सामान्य	
क्या फार्म भरने के लिए किसी विशिष्ट साफ्टवेयर की आवश्यकता है?	सिस्टम में अडोब 10 या इससे अधिक के (अधिमानतः अडोव 10.0.1) साफ्टवेयर को अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए क्योंकि फार्म के उचित रूप से कार्य करने हेतु यह एक पूर्वापेक्षा है। फार्म को केवल अडोब में खोलना चाहिए और अन्य किसी साफ्टवेयर में "नहीं"।
पंजीकरण के लिए संस्था द्वारा किस भूमिका का चयन किया जाना चाहिए?	विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं: (आईआईटी, एनआईटी आदि): **विश्वविद्यालय अधिकारी** विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज/संस्थाएं- **कालेज अधिकारी** स्वतः पूर्ण तकनीकी संस्थाएं: **संस्थान एसटीबी/निदेशालय अधिकारी** स्वतः पूर्ण नर्सिंग संस्थाएं- **संस्थान एसएनबी-अधिकारी** स्वतः पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं: **संस्थान-एससीईआरटी-अधिकारी** **स्वतः पूर्ण पीजीडीएम संस्थाएं: पीजीडीएम** **केंद्रीय मंत्रालयों के अधीन संस्थाएं:** मंत्रालयों के अधीन संस्थाएं
पोर्टल तक पहुंच के लिए विश्वविद्यालय/राज्य नॉडल अधिकारी द्वारा कालेज और संस्था के पंजीकरण को किस प्रकार से अनुमोदित किया जाना है?	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कॉलेजों/संस्थाओं को पोर्टल पर कालेज अधिकारी के रूप में पंजीकृत करना होता है और उनके पंजीकरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करना होता है। संस्थान/कॉलेज पंजीकरण को "प्रयोक्ता प्रबन्धन" लिंक के अंतर्गत देखा जा सकता है.प्रयोक्ता आई डी पर क्लिक करके नोडल अधिकारी का विवरण देखा जा सकता है, जिसे अनुमोदन दिए जाने से पूर्व सत्यापित किया जा सकता है। अनुमोदन 'X' बटन क्लिक करके दिया जा सकता है। एक बार अनुमोदित हो जाने पर यह '✔' चिन्ह दिखायेगा।

प्रयोक्ता पंजीकरण को अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?	विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं: **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज/संस्थाएं- **मूल विश्वविद्यालय** स्वतः पूर्ण तकनीकी संस्थाएं: **राज्य तकनीकी विभाग/राज्य नॉडल अधिकारी (एसएनओ)** स्वतः पूर्ण नर्सिंग संस्थाएं- **राज्य नर्सिंग परिषद/एसएनओ** स्वतः पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं: **एससीईआरटी/ एसएनओ** स्वतः पूर्ण पीजीडीएम संस्थाएं: **एआईसीटीई/मानव संसाधन विकास मंत्रालय** केंद्रीय मंत्रालयों के अधीन संस्थाएं: **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
स्वतः पूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं?	ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं परन्तु वे विभिन्न परिषदों या मंत्रालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इस सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए इन संस्थाओं को स्वतः पूर्ण संस्थाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। स्वतः पूर्ण संस्था को डीसीएफ-III भरना होता है। स्वतः पूर्ण संस्थाओं को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है: श्रेणी/किस्म I- डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक, जिन्हें सामान्यतया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और ये राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासित होते हैं। श्रेणी/किस्म II- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) सहित डिप्लोमा स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो सामान्यतया राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रशासित होते हैं। श्रेणी/किस्म III- डिप्लोमा स्तरीय परिचर्या (नर्सिंग) संस्थान जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होते हैं और राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा प्रशासित

<table>
<tr><td></td><td>होते हैं।
श्रेणी IV-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पीजीडीएम संस्थान।

श्रेणी V- संस्थान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सीधे नियंत्रण में हैं।</td></tr>
<tr><td>डीसीएफ-I, डीसीएफ-II और डीसीएफ-III की ब्लाक संख्यांकन में कोई समानता है?</td><td><table>
<tr><td>डीसीएफ-I</td><td>डीसीएफ-II</td><td>डीसीएफ-III</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1क</td><td>ब्लाक 2क</td><td>ब्लाक 3क</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1ख</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1ग</td><td>ब्लाक 2ख</td><td>ब्लाक 3ख</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1घ</td><td>ब्लाक 2ग</td><td>ब्लाक 3ग</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1ड.</td><td>ब्लाक 2घ</td><td>ब्लाक 3घ</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1च</td><td>ब्लाक 2ड.</td><td>ब्लाक 3ड.</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1छ</td><td>ब्लाक 2च</td><td>ब्लाक 3च</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1ज</td><td>ब्लाक 2छ</td><td>ब्लाक 3छ</td></tr>
<tr><td>ब्लाक 1 झ</td><td>ब्लाक 2 ज</td><td>ब्लाक 3 ज</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क्या डीसीएफ के एक ब्लाक में की गई प्रविष्टि का अन्य ब्लाकों में की जाने वाली प्रविष्टियों के साथ कोई संबंध है?</td><td>ब्लाक-Iख की मद सं. 1-4 में ब्लॉक 1-ख में प्रविष्ट क्षेत्रीय केन्द्रों की छात्र-नामांकन में पूर्व-गणना की जाएगी ताकि क्षेत्रीय केन्द्रवार नामांकन की प्रविष्टी की जा सके।
ब्लाक 1ग में सूचीबद्ध संकाय/विभाग की ब्लाक 1 घ में पूर्व-गणना की जाएगी ताकि प्रत्येक संकाय X विभाग के शिक्षण कर्मचारियों को अभिलेखबद्ध किया जा सके।
ब्लाक 1 ग में सूचीबद्ध कार्यक्रमों को ब्लाक 1ड. अर्थात छात्र नामांकन ब्लाक में और ब्लाक 1 च अर्थात परीक्षा परिणाम की पूर्व-गणना की जाएगी। नियमित प्रणाली के मामले में सभी कार्यक्रम ब्लाक 1ड. में दृष्टव्य होंगे।
लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक ड्राप-डाउन मेन्यू प्रदर्शित होगा जिसमें वही कार्यक्रम होंगे जैसाकि सूचीबद्ध किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>फार्म के विभिन्न ब्लॉक भरने की संदर्भ अवधि क्या है?</td><td>डाटा केप्चर फार्मेट्स भरने के लिए संदर्भ तिथि 30 सितम्बर, 2010 है। शैक्षिक वर्ष के लिए संस्थाओं,</td></tr>
</table>

	शिक्षकों और छात्रों की संख्या 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर रिकार्ड की जाएगी। एआईएसएचई 2011-12 के लिए संदर्भ तिथि 30 सितम्बर, 2011 होगी। 31 दिसम्बर या इससे पहले घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचना उन छात्रों के बारे में एकत्र की जाएगी जो पिछले शैक्षिक वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं/ जिन्हें डिग्रियां प्रदान की गई हैं। एआईएसएचई 2011-12 के लिए शैक्षिक वर्ष 2010-11 के लिए 30 दिसम्बर, 2012 को या उससे पहले घोषित परिणाम। वित्तीय सूचना वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए रिकार्ड की जाएगी। एआईएसएचई 2011-12 के लिए संदर्भ अवधि 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च 2012 होगी।

ब्लाक I ए	
यदि संस्थान में शिक्षण व शिक्षणेतर स्टाफ के लिए पृथक स्टाफ क्वार्टर नहीं हैं तो प्रविष्टियां कैसे की जाएंगी?	कुल क्वार्टरों में से स्टॉफ क्वार्टरों की संख्या की प्रविष्टि की जाए तथा ऊपर की दो पंक्तियों को खाली छोड़ दिया जाए।
यदि किसी संस्थान में उसका अपना छात्रावास नहीं है परन्तु वह संस्थान छात्रों को प्राइवेट आवास किराए पर लेकर अथवा सामान्य छात्रावासों में इकठ्ठा (शामिल) करके छात्रावास सुविधा प्रदान करता है, तो प्रविष्टियां कैसे की जाएंगी?	'जी हां,' छात्रावास सुविधा की उपलब्धता के लिए इसे रिकार्ड किया जाएगा। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या को भर्ती कालम में भी रिकार्ड किया जाएगा।
क्या ब्लॉक 1 सी में संघटक/विश्वविद्यालय कालेजों वाले विश्वविद्यालय के मामले (क्या विश्वविद्यालय कालेजों से स्थापित किया गया है या केवल सम्बद्ध विश्वविद्यालय है) में भी हां का निशान लगाया जाएगा?	जी नहीं। यह मद कुछेक विश्वविद्यालयों जिन्हें कालेजों से गठित किया गया है, के लिए लागू है और ऐसे विश्वविद्यालयों में कालेजों में स्थित इनके सभी संकाय तथा विभाग होते हैं तथा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता।

ब्लाक I (ख)	
विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों पर बाह्य परिसर केन्द्र हैं? इसके ब्यौरे को कैसे प्रविष्ट किया जाएगा?	प्रत्येक बाह्य परिसर केन्द्र के लिए डी सी एफ- II में उनके आंकड़ों को पृथक रूप से भरा जाएगा। इन बाह्य परिसर केन्द्रों के संकाय/विभाग के नाम, शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ के ब्यौरे और छात्रों के नामांकन को डी सी एफ- I में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
विश्वविद्यालय के विदेश स्थित परिसर/कालिज हैं।	विदेश स्थित परिसर/कालेजों को कॉलेज के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। तथापि प्रपत्र के अंत में अभ्युक्ति वाले ब्लाक के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया जा सकता है। विदेश स्थित केन्द्रों के संकाय/विभाग के नाम शिक्षण व शिक्षणेतर स्टाफ के ब्यौरे और छात्रों के नामांकन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
विश्वविद्यालय; दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम संचालित कर रहा है। क्या अध्ययन केन्द्रों को ब्लॉक 1 ख में सूचीबद्ध किया जाएगा?	जी, नहीं। ब्लाक 1 ख में केवल क्षेत्रीय केन्द्र का नाम दिया जाएगा। अध्ययन केन्द्रों के नाम की प्रविष्टि करने से छात्र नामांकन ब्लाक में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के लिए तालिकाओं का सृजन होगा तथा इसलिए इनमें से प्रत्येक मद के अन्तर्गत छात्रों का विवरण पृथक रूप से रिकार्ड किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय के अपने अध्ययन केन्द्र हैं तो वह इस ब्लॉक में अपने मुख्यालय (उदाहरणार्थ दूरस्थ शिक्षा निदेशालय) का नाम प्रविष्ट कर सकता है।
ब्लाक 1 ग (विश्वविद्यालय के लिए) 2 ख (कालेजों के लिए) 3 ख (स्टैंड अलोन संस्थाओं के लिए)	
संस्था में न तो कोई संकाय और न ही कोई विभाग है।	ब्लाक 1 ग की मद 1 को खाली छोड़ी जाए। ऐसी स्थिति में ब्लाक 1 ग की मद 2 में जहां कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाएगा तो केवल तीसरी मद के सामने अर्थात अन्य कार्यक्रमों पर निशान लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में संकाय तथा विभाग को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

	संकाय/विभाग के बनावटी नाम रिकार्ड करने की जरूरत नहीं है।
संस्था में संकाय तो है परन्तु विभाग नहीं है।	ब्लाक 1 ग के मद 1 में संकाय का नाम प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा विभाग के लिए कोष्ठक (बॉक्स) को खाली छोड़ देना चाहिए। यदि संस्था में एक से अधिक संकाय है तो संकाय बॉक्स के बांये कोने के बटन को + के संकेत से क्लिक करके इसे जोड़ा जा सकता है। इस मामले में ब्लाक 1 ग की मद 2 जिसमें कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाना है तो उपयुक्त मदों के सामने निशान लगाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मामलों में "विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम" लागू नहीं है।
संस्था में संकाय नहीं है परन्तु केवल विभाग मौजूद है।	संकाय से संबंधित बॉक्स खाली छोड़ दिया जाए। ब्लाक 1 ग की मद 1 में विभाग का नाम प्रविष्ट किया जाना चाहिए। यदि संस्था में एक से अधिक विभाग हैं तो उसे विभाग के बॉक्स के बायें कोने का बटन + के संकेत से क्लिक करके जोड़ा जा सकता है। यदि इस मामले में ब्लॉक ग की मद 2 जिसमें कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाना है, तो उपयुक्त मदों के सामने निशान लगाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मामले में "संकाय द्वारा संचालित कार्यक्रम" लागू नहीं है।
संकायों तथा विभागों के सूचीकरण का क्या प्रयोजन है?	सूचीबद्ध संकायों तथा विभागों की संख्या के अनुसार ब्लाक 1 घ का स्वतः ही विस्तार किया जाएगा तथा प्रत्येक संकाय एवं विभाग के लिए शिक्षण स्टाफ के ब्यौरे प्रविष्ट किए जाएंगे। तथापि ब्लाक 1 घ में संकाय तथा विभाग रहित तालिका भी सृजित की जाएगी। इस तालिका को शिक्षण स्टाफ ऐसे कुलपति, प्रिंसिपल अथवा निदेशक जो किसी संकाय/विभाग से जुडे नहीं हैं, को रिकार्ड करने के प्रयोजन से सृजित किया गया

	है।
क्या डीएसएफ-II और डीएसएफ- III में संकाय अशक्त है?	जी हां, इस मद में कोई प्रविष्टि नहीं की जाए।
ब्लॉक 1 ग, मद 2 में संकाय/ विभाग की गणना नहीं की गयी है।	यह आश्वस्त किया जाता है कि फार्म के उपयुक्त रूप से कार्य करण के लिए सिस्टम पर एडोब 10 इंस्टाल हो जैसा कि पूर्व अपेक्षित है।
क्या कॉलम, लेवल, प्रोग्राम, ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप, कैटेगरी और ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप नेम के तहत ड्राप-डाउन में दिए गए विकल्पों को सही ढंग से फिल्टर किया गया है।	जी हां। 'लेवल', 'प्रोग्राम' 'ब्राड डिसिप्लिन ग्रुप कैटेगरी' और 'ब्राड डिसिप्लिन ग्रुप नेम' का पूरा कॉनकोर्डन्स अनुदेश मैनुअल के परिशिष्ट में दिया गया है।
'डिसिप्लेन'' कॉलम के अंतर्गत कौनसी प्रविष्टि की जानी है?	''डिसिप्लेन'' कॉलम के अंतर्गत, संस्थान में पढ़ाए जाने वाले वास्तविक विषयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसे विभिन्न संस्थाओं में विषयों की सम्पूर्ण सूची तैयार करने के लिए शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए दो कार्यक्रमों वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र में एम.फिल. को दो पृथक पंक्ति में रिकार्ड किया जा सकता है। पहली पंक्ति में वाणिज्'य तथा दूसरी पंक्ति में अर्थशास्त्र को प्रविष्ट किया जा सकता है।
यदि कार्यक्रम की अवधि पूरे वर्ष की है, तो 'माह' कॉलम में प्रविष्टि की आवश्यकता है अथवा नहीं?	'पाठ्यक्रम की अवधि' कॉलम के अंतर्गत वर्ष तथा माह दोनों प्रविष्टियां अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए यदि पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्षों की है, तो वर्ष के तहत 3 रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा माह के तहत 0 लिखा जाना चाहिए। पी.एच.डी. के मामले में निर्धारित अवधि रिकार्ड की जानी चाहिए।
क्या ब्लॉक 1ग, मद 2 में सूचीबद्ध कुछ कार्यक्रम ब्लॉक 1ड़ अर्थात छात्र नामांकन तथा ब्लॉक 1 च अर्थात् परीक्षा परिणामों में शामिल नहीं हैं?	ब्लॉक 1ग में सूचीबद्ध सभी ब्लॉकों हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कालम ('आवेदकों की संख्या' अनिवार्य नहीं है) उचित रूप से भरे गये हों। 'डिसिप्लेन' कॉलम के अंतर्गत संस्थान में पढ़ाए जाने वाले वास्तविक विषयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसे विभिन्न संस्थाओं में विषयों की सम्पूर्ण सूची तैयार करने के लिए शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए दो

	कार्यक्रमों वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र में एम.फिल. को दो पृथक पंक्ति में लिखा जा सकता है। पहली पंक्ति में वाणिज्य को तथा दूसरी में अर्थशास्त्र को प्रविष्ट किया जा सकता है। 'पाठ्यक्रम की अवधि' कॉलम के अंतर्गत वर्ष तथा माह दोनों की प्रविष्टियां अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए यदि पाठयक्रम की अवधि 3 वर्षों की है, तो वर्ष के तहत 3 रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा माह के तहत 0 रिकार्ड किया जाना चाहिए। पी.एच.डी. के मामले में निर्धारित अवधि रिकार्ड की जानी चाहिए। यह ब्लॉक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि छात्रों के नामांकन तथा परीक्षा परिणामों पर ब्लाकों का विस्तार यहां की गई प्रविष्टियों के आधार पर किया जाता है। इस ब्लॉक से बाहर निकलते समय चेक फार्म बटन पर क्लिक किया जा सकता है। यदि ब्लॉक में कोई गलती होती है तो वह गलती अथवा छूट गए मदों को दर्शाएगा।
क्या ब्लॉक 1ड. अर्थात् छात्र नामांकन में दूरस्थ मोड के तहत सूचीबद्ध कार्यक्रम नहीं दर्शाए जा रहे है?	दूरस्थ मोड के तहत रिकार्ड किए गए कार्यक्रम ब्लॉक 1ड. अर्थात छात्र नामांकन में स्वत: प्री-पाप्यूलेटेड नहीं होते है। दूरस्थ कार्यक्रमों के तहत ब्लॉक 1ड. में एक ड्राप डाउन मीनू दर्शाया जाएगा जिसमें सभी कार्यक्रम 1ड. सूचीबद्ध होंगे। जैसे ही ड्राप डाउन मीनू से स्तर, कार्यक्रम तथा विषय का चुनाव किया जाएगा शेष फील्ड अपने आप विस्तृत हो जाएंगे। अतिरिक्त कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए अंतिम पंक्ति की बाई तरफ + चिन्ह बटन पर क्लिक करें। दूरस्थ कार्यक्रम के तहत नामांकन सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु अलग से दिया जाना है। इसके लिए ब्लॉक 1ख के तहत सूचीबद्ध सभी क्षेत्रीय केन्द्र ब्लॉक 1ड. अर्थात छात्र नामांकन में स्वत: प्री-पाप्यूलेटेड होंगे। यह बात ध्यान में रखी जानी

	चाहिए कि केवल क्षेत्रीय केन्द्र (न कि अध्ययन केन्द्र) का नाम ही ब्लॉक 1ख में दिया जाना है। अध्ययन केन्द्रों का नाम भरते हुए छात्र नामांकन ब्लॉक में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र हेतु सारणियां बनेगी और इसलिए, इनमें से प्रत्येक हेतु छात्रों के ब्यौरे अलग से रिकार्ड किए जाएंगे। यदि विश्वविद्यालय में केवल अध्ययन केन्द्र है, तो वह ब्लॉक 1ख में अपने मुख्यालय (अर्थात दूरस्थ शिक्षा निदेशालय) का नाम भर सकता है।
यदि किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम में दाखिल क्षमता निर्धारित नहीं है, तो क्या इस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है?	जी, नहीं। कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिल छात्रों की वास्तविक संख्या से भरा जाए
ब्लॉक 1घ (विश्वविद्यालय हेतु), 2ग (कालेज हेतु), 3ग (स्टैंड अलोन संस्था हेतु)	
शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ	
ब्लॉक 1घ में स्टाफ ब्यौरे भरते समय अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., शारीरिक रूप से विकलांग तथा अल्पसंख्यक श्रेणियों की कुल संख्या के संबंध में कैसे प्रविष्टि की जाए?	शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ के ब्यौरे भरे जाते समय निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं: **मामला** 1: संस्थान श्रेणी-वार (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.,) आंकड़े का रख-रखाव करता है - संबंधित कालमों में प्रविष्टियां की जाएं तथा टिप्पणी कॉलम में कोई टिप्पणी नहीं दी जाए। **मामला** 2: संस्थान श्रेणीवार (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.,) आंकड़े नहीं रखता है। केवल 'कुल' कालम में प्रविष्टि की जाए तथा टिप्पणी कालम में "श्रेणी वार आंकड़े नहीं रखते जाते" में विकल्प चुना जाएगा। **मामला** 3: संस्थान सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी हेतु अलग-अलग आंकड़े रखता है परन्तु अ.पि.व. के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मामलों में सामान्य, अनु.जा. और अ.ज.जा. कॉलम के अंतर्गत प्रविष्टि करें लेकिन ओबीसी कॉलम को खाली छोड़ना होता है और अभ्युक्ति कॉलम में "ओबीसी डाटा नहीं

	रखा गया" विकल्प चुना जाएगा। **मामला 4:** अल्पसंख्यक के संबंध में संस्थान अलग डाटा नहीं रखता। ऐसे मामलों में सभी कालम खाली छोड़े जाएंगे और अभ्युक्ति के कालम में "अल्पसंख्यक डाटा नहीं रखा गया" विकल्प चुना जाएगा। **यहां प्रविष्टि का अर्थ है, इसे खाली नहीं छोड़ा जाएगा। शून्य के मामले में '0' प्रविष्टि की जाएगी। उदाहरण संलग्नक में दिया गया है।**
यदि एक शिक्षक एक से अधिक विभाग में पढ़ा रहा हो, तो क्या उसे सभी विभागों में गिना जाएगा?	नहीं। उसे मूल विभाग के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा जिसमें तैनात था और केवल एक बार ही गिना जाएगा। क्या ग्रेड पे कॉलम नियोग्य है?
क्या ग्रेड पे कॉलम नियोग्य है?	जी, हां। इस कॉलम में प्रविष्टि नहीं की जाए।
शिक्षणेतर	
समूह क, ख, ग, और घ में शिक्षणेतर स्टाफ को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा।	शिक्षणेतर स्टाफ को क, ख, ग, और घ समूह में जोकि सरकार में प्रचलित हैं, में वर्गीकृत किया गया है। जहां स्टाफ का ऐसा वर्गीकरण विद्यमान नहीं है, नीचे दिए अनुसार इसके समकक्ष वर्गों में सूचना को रिकार्ड किया जाए: मैसेंजर, चपरासी इत्यादि को समूह 'घ' के अधीन वर्गीकृत किया जाए। लिपिक/सचिवालयी स्टाफ, ड्राइवरों को समूह 'ग' में वर्गीकृत किया जाए। मध्य स्तर के पदधारियों को समूह 'ख' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को समूह 'क' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए।

	संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ को रिकार्ड करने का भी विकल्प दिया गया है।
ब्लॉक 1ई (विश्वविद्यालय के लिए), 2डी (कॉलेज के लिए), 3डी (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
ब्लॉक 1ई में छात्रों का ब्यौरा भरते समय अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति के संबंध में प्रविष्टि कैसे की जाएगी	छात्रों का नामांकन ब्यौरा दर्ज करते समय निम्नलिखित स्थिति पैदा हो सकती है: **मामला 1:** संस्थान श्रेणी-वार (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., ओबीसी) डाटा रखता है - संबंधित कालम में प्रविष्टि करें और अभ्युक्ति कालम में कोई अभ्युक्ति न दी जाए। **मामला 2:** संस्थान श्रेणीवार (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., ओबीसी) डाटा नहीं रखता। प्रविष्टि केवल 'कुल' कालम में करें, अभ्युक्ति कालम में "श्रेणीवार डाटा नहीं रखा जाता" विकल्प चुना जाएगा। **मामला 3:** संस्थान सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के लिए अलग-अलग डाटा रखता है लेकिन ओबीसी डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में सामान्य, अ.जा. और अ.ज.जा. कॉलमों के अंतर्गत प्रविष्टि करें, लेकिन ओबीसी कॉलम को खाली रखना होता है और अभ्युक्ति कॉलम में "ओबीसी डाटा नहीं रखा जाता" विकल्प चुना जाएगा। **मामला 4:** संस्थान अल्पसंख्यक के संबंध में अलग डाटा नहीं रखता। ऐसे मामलों में सभी कॉलम खाली छोड़े जाएंगे और अभ्युक्ति कालम में "अल्पसंख्यक डाटा नहीं रखा जाता" विकल्प चुना जाएगा। **यहां प्रविष्टि का अर्थ है इसे खाली न छोड़ा जाए। शून्य के मामले में '0' प्रविष्टि की जाएगी।** **उदाहरण संलग्नक में दिया गया है।**
किसी खास कार्यक्रम में वर्षवार नामांकन कैसे दर्ज किया जाएगा।	तीन वर्षों के कार्यक्रम के लिए, छात्रों का नामांकन प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए किया जाएगा। प्रथम वर्ष में 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार छात्रों को नामावली में दर्ज किया जाएगा। द्वितीय वर्ष का नामांकन उन छात्रों में से किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2010-11 में प्रवेश लिया

	हो, प्रथम वर्ष पूरा कर लिया हो और 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार नामावली में (द्वितीय वर्ष में) हों। इसी तरह तृतीय वर्ष का नामांकन उन छात्रों में से होता है जिन्होंने 2009-10 में दाखिला लिया हो, द्वितीय वर्ष पूरा कर लिया हो और 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार नामावली पर (तृतीय वर्ष में) हों। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के मामले में संलग्नक-II में उदाहरण से स्पष्ट किया गया है।
ब्लॉक 1 एफ (विश्वविद्यालय के लिए), 2ई (कॉलेज के लिए), 3ई (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
क्या कॉलेजों के परीक्षा परिणाम डीसीएफ-1 में शामिल किए जाने हैं?	जी, नहीं । यह संबंधित कॉलेज द्वारा भरा जाना है जिसके लिए यदि सूचना उनके पास उपलब्ध नही है, तो यह विश्वविद्यालय से एकत्रित की जानी है और तब डीसीएफ- II में भरी जानी है।
परीक्षा परिणाम किस वर्ष दर्ज किया जाएगा?	31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व उत्तीर्ण/पूर्व अकादमिक वर्ष की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों हेतु परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचना एकत्रित की जानी है। एआईएसएचई 2011-12 के लिए 2010-11 के अकादमिक वर्ष हेतु 30 दिसम्बर, 2012 को अथवा उससे पहले घोषित परिणाम।
क्या केवल अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम दर्ज किया जाएगा?	जी, हां। यदि यह बीएससी प्रोग्राम है, केवल उन्हीं छात्रों का परिणाम दर्ज किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2011 के दौरान में बीएससी पूरी की हो। इसमें बीएससी भाग-I और भाग-II का परिणाम शामिल नहीं करना चाहिए।
ब्लाक 1 जी (विश्वविद्यालय के लिए), 2एफ (कॉलेज के लिए), 3एफ (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
क्या प्रविष्टियां दशमलव में की जानी हैं?	डीसीएफ- I में ये इसे तीन दशमलव बिन्दुओं तक स्वीकार किया जाता है। डीसीएफ- II और डीसीएफ- III में यह पूर्ण संख्या में होना चाहिए।
क्या अंक हजारों में दर्ज किए जाएंगे?	डीसीएफ- I में हजारों में दर्ज किए जाएंगे (51100 को 51.1 दर्ज किया जाएगा) डीसीएफ- II और डीसीएफ- III में यह पूर्ण संख्या में दर्ज किए

	जाएंगे।
कौन से क्षेत्र अनिवार्य हैं?	सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं। यदि किसी विशेष शीर्ष में कोई आय/व्यय न हो तो '0' दर्ज किया जाए।
ब्लाक 1 एच (विश्वविद्यालय के लिए), 2जी (कॉलेज के लिए), 3जी (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
टिकमार्क कैसे सिलेक्ट करेंगे?	क्लिक द्वारा, टिक मार्क स्वत: आ जाएगा
ब्लाक 1 आई (विश्वविद्यालय के लिए), 2एच (कॉलेज के लिए), 3एच (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
यदि कोई संस्था एनएएसी से प्रत्यायित न हो, परंतु किसी अन्य एजेंसी से हो?	एनएएसी के समक्ष स्कोर और ग्रेडिंग को खाली छोड़ा जा सकता है। एजेंसी का नाम (जिसने संस्था को प्रत्यायित किया है), उस एजेंसी द्वारा दिया गया स्कोर और ग्रेडिंग अगली पंक्ति में दर्ज की जा सकती है।
ब्लाक 1जे (विश्वविद्यालय के लिए), 2आई (कॉलेज के लिए), 3आई (स्टैंड अलोन संस्था के लिए)	
अभ्युक्ति ब्लॉक में क्या दर्ज किया जाना है?	इसमें संस्थान से संबंधित विशिष्ट विशेषताएं और प्रेक्षण सर्वेक्षण के अधीन संकलित डाटा पर आधारित रिपोर्टों का सृजन करते हुए दर्ज किए जाने हैं जिन्हें भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रोग्राम जिसे वर्तमान में सूचीबद्ध नहीं किया है, लेकिन शुरू कर लिया गया है, इस ब्लॉक में उसका उल्लेख करने की जरूरत है।
क्या इसका विस्तार हो सकता है?	इस ब्लॉक का आकार नियत नहीं है लेकिन इस ब्लॉक को संक्षेप में दर्ज करना चाहिए - केवल विशेष उल्लेख के रूप में

संलग्नक-I

शिक्षक, स्टाफ और छात्रों की संख्या का अभिलेखन

	प्रकार	सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा.		ओबीसी		कुल		अभ्युक्तियां ड्राप डाउन मेन्यु से चयनीत की जानी हैं
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका	
मामला-1	कुल	12	5	5	0	0	0	5	2	25	8	अभ्युक्ति की जरूरत नहीं
मामला-2	कुल	8	5	0	0	0	0	0	0	8	5	किसी अभ्युक्ति की जरूरत नहीं क्योंकि "0" संकेत देता है कि डेटा रखा जाता है पर कोई छात्र/शिक्षक नहीं है।
मामला-3	कुल									8	5	श्रेणीवार डेटा नहीं रखा जाता
मामला-4	कुल	12	5	5	1	3	1			20	7	ओबीसी डेटा नहीं रखा जाता
	पीडब्ल्यूडी (कुल में से)	**सभी चार मामले पीडब्ल्यूडी के लिए भी लागू हैं (कुल में से)**										
	अल्पसंख्यक (कुल में से)	**इन दोनों प्रकारों पर भी सभी चार मामले लागू हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 2 मामले भी लागू हैं।**										
	अन्य अल्पसंख्यक (कुल में से)											
मामला-5	अल्पसंख्यक (कुल में से)											अल्पसंख्यक डेटा नहीं रखा जाता क्योंकि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है
	अन्य अल्पसंख्यक (कुल में से)											
मामला-6	अल्पसंख्यक (कुल में से)											**"श्रेणीवार डेटा नहीं रखा जाता"** अभ्युक्ति लागू है। ''अल्पसंख्यक डैटा नहीं रखा जाता'' लागू नहीं है क्योंकि "0" संकेत देता है कि कुल संख्या उपलब्ध है और यह शून्य है।
	अन्य अल्पसंख्यक (कुल में से)									0	0	

संलग्नक-II

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नामांकन का अभिलेखन

चूंकि एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष और 6 माह की है, इसलिए छात्र नामांकन ब्लॉक में 5 पंक्तियां बनाई जाएंगी। मान लो गत पांच वर्षे के दौरान हर वर्ष जुलाई में 100 छात्रों को दाखिल किया गया तो नामांकन की गणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

दाखिला वर्ष	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	30 सितम्बर,2011 से पूर्व पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रोंकी संख्या	वर्ष	30 सितम्बर,2011 के नामांकन अनुसार	निम्नलिखित सेमेस्टरों में छात्र होंगे
2011-12	100	0	प्रथम वर्ष	100	पहले और दूसरे सेमेस्टर में
2010-11	100	2	द्वितीय वर्ष	98	तीसरे और चौथे सेमेस्टर में
2009-10	100	5	तृतीय वर्ष	95	पांचवे और छठे सेमेस्टर में
2008-09	100	4	चतुर्थ वर्ष	96	सातवें और आठवें सेमेस्टर में
2007-08	100	3	पांचवा वर्ष	97	नौवें सेमेस्टर में

4 वर्षों की अवधि निम्नलिखित तीन चरणों में विभक्त है :

चरण- I (दो सेमेस्टर) - इस चरण के सभी छात्रों को प्रथम वर्ष में दर्शाया जाएगा।

चरण- II (तीन सेमेस्टर) - इस चरण के पहले दो समेस्टरों के छात्रों को द्वितीय वर्ष में दर्शाया जाएगा और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों को तृतीय वर्ष में दर्शाया जाएगा।

चरण- III (चार सेमेस्टर) - इस चरण के पहले सेमेस्टर के छात्रों को तृतीय वर्ष में दर्शाया जाएगा, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों को चौथे वर्ष में और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को 5वें वर्ष में दर्शाया जाएगा।